[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या. 15 /2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च, 2019

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, सऊदी अरब और थाईलैंड (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित सोलर मॉड्यूल "इथिलीन विनाइल एसीटेट (ईवीए)" शीट (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष 3901 30, 3920 10, 3920 62, 3920 99 और 3921 90 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष में, जिसे अधिसूचना संख्या 6/9/2018-डीजीएडी, दिनांक 21 फरवरी, 2019 के तहत दिनांक 21 फरवरी, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, में इस निर्णय पर पहुंचें हैं कि –

"चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, सऊदी अरब और थाईलैंड से होने वाले फालतू आयात को और ऐसे फालतू आयात के कारण होने वाली क्षति को दूर करने के लिए ऐसे आयात पर शुल्क का लगाया जाना जरूरी हो गया है । हालांकि, यह पाया गया है कि दक्षिण कोरिया से इस जांच अवधि के दौरान किया गया आयात मामूली स्तर से भी कम है अत: नियम 14(घ) के अनुसार दक्षिण कोरिया के खिलाफ किसी जांच का परित्याग कर देना उचित है ।"

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तु जो कि विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित है और भारत में आयातित है, के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट अधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन उप शीर्षकों के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित हैं और भारत में आयातित हैं, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा और माप इकाई में प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	उप शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादक और/या निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	**3901 30** **3920 10**	सोलर मॉड्यूल इथिलीन	चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स चांगझाओ बैटर सैन्चुरी फिल्म टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	**537**	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन

2.	**3920 62** **3920 99** **3921 90**	विनाइल एसीटेट (ईवीए) शीट	चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स हांगझाओ फर्स्ट एप्लाइड मेटीरियल कंपनी लिमिटेड/मैसर्स सुझो फर्स्ट पीवी मेटीरियल कंपनी लिमिटेड	**665**	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
3.			चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स चांगझाओ स्वेक पीवी न्यू मेटीरियल कंपनी लिमिटेड	**590**	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
4.			चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	**897**	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
5.			सऊदी अरब	मैसर्स सऊदी स्पेशलाइस्ड प्रोडेक्ट्स कंपनी	**1338**	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
6.			सऊदी अरब	कोई भी	**1559**	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
7.			थाईलेंड	मैसर्स टीपीआई ऑल सीजन्स कंपनी लिमिटेड	**1141**	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
8.			थाईलेंड	कोई भी	**1529**	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
9.			मलेशिया	कोई भी	**953**	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

(फाइल संख्या 354/50/2019-टीआरयू)

(गौरव सिंह)
उप- सचिव, भारत सरकार